उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–1
संख्या– 1379/XVIII(1)/2015-4/2007
देहरादूनः दिनांकः 23 सितम्बर, 2015

अधिसूचना

राज्यपाल 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) सेवा नियमावली, 2013 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2015

भाग–एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2015 है।

(2) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

नियमावली के नियम–4 (1)(2),2 (ग),5,5 (क)(ख), 10(ख),13, 18,20,21 (2),22,25, 29(2)(3) (4)(6) (क)(ख), 30,33,36 (1)(3)।

उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) सेवा नियमावली, 2013 के नियम–4(1)(2),2(ग),5,5(क)(ख),10(ख),13,18,20,21(2),22,25, 29(2)(3)(4)(6)(क)(ख),30,33 एवं 36(1)(3) में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान में विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 प्रतिस्थापित नियम
सेवा का संवर्ग 4. (1) सेवा में राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) का संवर्ग ***मण्डलीय संवर्ग*** होगा। सेवा में पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी समय–समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाय।	सेवा में राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) का संवर्ग **जनपदीय संवर्ग** होगा। सेवा में पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी समय–समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाय।

	(2)	सेवा में पदों की संख्या जब तक उपनियम (1) के अधीन पारित आदेश से परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी, ***जो परिशिष्ट 'क' में दी गयी है :***	सेवा में पदों की संख्या जब तक उपनियम (1) के अधीन पारित आदेश से परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी, **जितनी समय–समय पर अवधारित की जायेगी।**
		(ग) नियमावली लागू होने की तिथि को, पूर्व से सेवारत सेवा के सदस्यों की संख्या ***परिशिष्ट 'क' में दी गई पदों की संख्या से अधिक होने की दशा में राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) को मण्डल के किसी जिले में राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र से भिन्न लेखपाल हल्के में,*** वेतन परिलब्धियों में कोई कटौती किये बगैर, तैनाती दी जा सकेगी :	**जनपद के नियमित पुलिस क्षेत्र घोषित किये जाने के फलस्वरूप राजस्व पुलिस व्यवस्था से बाहर किये गये राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र में राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) को पूर्व से पुलिस कार्यों हेतु अनुमन्य कोई भी सुविधा यथा विशेष वेतन, पौष्टिक आहार, वाहन भत्ता तथा प्रतिकर भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।**
भर्ती का स्रोत	5.	सेवा में राजस्व उप निरीक्षक पदों में भर्ती नियम 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियम 29 के अनुसार, सफलता पूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की, तैयार की गई सूची में से वरिष्ठता क्रम से की जायेगी। विहित प्रशिक्षण हेतु चयन निम्नलिखित स्रोतों से किया जायेगाः—	सेवा में राजस्व उप निरीक्षक पदों में भर्ती नियम 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, **उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, अन्य परीक्षा परिषद या समिति, जैसा भी निर्धारित किया जाय, के द्वारा** नियम 29 के अनुसार, सफलता पूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की, तैयार की गई सूची में से वरिष्ठता क्रम से की जायेगी। विहित प्रशिक्षण हेतु चयन निम्नलिखित स्रोतों से किया जायेगाः—
		(क) संवर्ग के ***75 प्रतिशत*** पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन सीधी भर्ती के माध्यम से ;	(क) संवर्ग के **50 प्रतिशत** पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन सीधी भर्ती के माध्यम से ;

		(ख) संवर्ग के ***25 प्रतिशत*** पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन निर्धारित पात्रता पूर्ण करने वाले राजस्व सेवकों से ;	(ख) संवर्ग के **50 प्रतिशत** पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन निर्धारित पात्रता पूर्ण करने वाले राजस्व सेवकों से ;
		परन्तु यह कि पात्र राजस्व सेवक उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों के सापेक्ष खण्ड (क) के अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण हेतु चयन किया जा सकेगा।	परन्तु यह कि पात्र राजस्व सेवक उपलब्ध न होने की दशा में **चयन वर्ष के 30 सितम्बर तक** की रिक्तियों के सापेक्ष खण्ड (क) के अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण हेतु चयन किया जा सकेगा।
अधिमानी अर्हता	10.	(ख) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया हो,	(ख) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' **अथवा 'सी'** प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया हो,
शारीरिक मानक	13.	पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेमी0 व महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेमी0 अनिवार्य होगी। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेमी0 की छूट अनुमन्य होगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के साथ 84 सेमी0, जिसमें न्यूनतम 5 सेमी0 का फुलाव अनिवार्य होगा। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेमी0 की छूट अनुमन्य होगी। महिला अभ्यर्थियों का वजन ***45 किलोग्राम से 58 किलोग्राम के मध्य होना चाहिए।***	पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेमी0 व महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेमी0 अनिवार्य होगी। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेमी0 की छूट अनुमन्य होगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के साथ 84 सेमी0, जिसमें न्यूनतम 5 सेमी0 का फुलाव अनिवार्य होगा। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेमी0 की छूट अनुमन्य होगी। महिला अभ्यर्थियों का वजन **न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए।**
न्यूनतम सेवा	18.	राजस्व सेवक के पद पर ***न्यूनतम दस वर्ष की सेवा*** तथा अपने पद पर स्थायी राजस्व सेवक ही प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अर्ह होंगे।	राजस्व सेवक के पद पर **न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा** तथा अपने पद पर स्थायी राजस्व सेवक ही प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अर्ह होंगे।

रिक्तियों की अवधारणा	20. संस्थान में नियम 5 के खण्ड (क) के अनुसार विहित प्रशिक्षण के लिए सीधी भर्ती के चयन हेतु नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली और आगामी दो वर्षों में सम्भावित रिक्तियों की संख्या प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक अवधारित करेगा ***और मण्डल के आयुक्त को सूचित करेगा। आयुक्त मण्डल*** कुल रिक्तियों में से नियम 6 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।	संस्थान में नियम 5 के खण्ड (क) के अनुसार विहित प्रशिक्षण के लिए सीधी भर्ती के चयन हेतु नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली और आगामी दो वर्षों में सम्भावित रिक्तियों की संख्या प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक अवधारित करेगा तथा कुल रिक्तियों में से नियम 6 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। **नियुक्ति प्राधिकारी निर्देशानुसार रिक्तियों की संख्या से राजस्व परिषद एवं राज्य सरकार को चयन हेतु संसूचित करेगा।**
प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए परीक्षा	21. (2) प्रशिक्षण हेतु परीक्षा पाठ्यक्रम व प्रकिया का निर्धारण समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी ***कार्यपालक अनुदेश*** के अनुसार किया जायेगा।	प्रशिक्षण हेतु परीक्षा का पाठ्यक्रम **चयन का माध्यम** व भर्ती की प्रकिया का निर्धारण समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी **निर्देशों** के अनुसार किया जायेगा।
प्राथमिकता का जिला	22. ***आवेदक से आवेदन–पत्र में प्राथमिकता का एक जिला मांगा जायेगा।***	**एक ही जिले के लिए आवेदक से आवेदन मांगा जायेगा।**
	अभ्यर्थियों को उसी जिले में परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। नियमावली के नियम 29 के उपनियम (6) के अनुसार नियुक्ति के समय ***उक्त प्राथमिकता के जनपद में तैनाती पर आयुक्त विचार करेगा।***	अभ्यर्थियों को उसी जिले में **रिक्ति के सापेक्ष** परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। नियमावली के नियम 29 के उपनियम (6) के अनुसार नियुक्ति के समय **तैनाती उसी जनपद में की जायेगी।**

रिक्तियों की अवधारणा

25. ***मण्डल का आयुक्त*** तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार राजस्व सेवकों से वर्ष के दौरान भरी जाने वाली और आगामी दो वर्षों में सम्भावित रिक्तियों की संख्या प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक ***कलेक्टरों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर*** अवधारित करेगा।

नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार राजस्व सेवकों से वर्ष के दौरान भरी जाने वाली और आगामी दो वर्षों में सम्भावित रिक्तियों की संख्या प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक अवधारित करेगा।

प्रशिक्षण के उपरांत नियुक्ति की प्रक्रिया

29. (2) ***आयुक्त,*** निम्नलिखित भर्ती के प्रपत्र में भर्ती के प्रयोजनों के लिए ऐसे अभ्यर्थियों की योग्यताक्रम में एक सूची रखेगा, जिन्होंने संस्थान से सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो।

नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित भर्ती के प्रपत्र में भर्ती के प्रयोजनों के लिए ऐसे अभ्यर्थियों की योग्यताक्रम में एक सूची रखेगा, जिन्होंने संस्थान से सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो।

क्रम–संख्या	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम और निवास स्थान	***अभ्यर्थी द्वारा आवेदित प्राथमिकता का जिला***	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	संस्थान से परीक्षा/अनुपूरक परीक्षा पास करने का दिनांक	***परीक्षा में प्राप्त कुल अंक***
1	2	3	4	5	6	7

क्रम–संख्या	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम और निवास स्थान	**अभ्यर्थी द्वारा आवेदित जनपद का नाम**	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	संस्थान से परीक्षा/अनुपूरक परीक्षा पास करने का दिनांक	**परीक्षा में प्राप्त कुल अंक (गणांक/प्राप्तांक)**
1	2	3	4	5	6	7

(3) संस्थान का कार्यकारी निदेशक प्रति वर्ष, परीक्षाफल प्रकाशन होने पर ***मण्डलवार*** परीक्षाफल तैयार कर विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त अभ्यर्थियों की सूची संबंधित ***मण्डलायुक्त*** को उपलब्ध करायेगा।

संस्थान का कार्यकारी निदेशक प्रति वर्ष, परीक्षाफल प्रकाशन होने पर **जनपदवार** परीक्षाफल तैयार कर विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त अभ्यर्थियों की सूची संबंधित **जिलाधिकारी** को उपलब्ध करायेगा।

(4) ***मण्डल का आयुक्त*** सूची में नाम उस प्रवीणता के क्रम में रखे जायेंगे, जिस क्रम में परीक्षा या अनुपूरक परीक्षा (अनुपूरक से तात्पर्य मूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को नियमों के अधीन दिये गये विशेष

जिलाधिकारी द्वारा सूची में नाम उस प्रवीणता के क्रम में रखे जायेंगे, जिस क्रम में परीक्षा या अनुपूरक परीक्षा (अनुपूरक से तात्पर्य मूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को नियमों के अधीन दिये गये

अवसर से है) उत्तीर्ण की गई हो। एक ही परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के बीच ज्येष्ठता का निर्णय, परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार (मूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण, अनुपूरक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में अनुपूरक परीक्षा में सम्बन्धित विषय में प्राप्त अंकों को सम्मिलित करते हुए) पर किया जायेगा। दो या दो से अधिक सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के बराबर होने की दशा में अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता प्रशिक्षण हेतु चयन प्रक्रिया की प्रवीणता सूची के आधार पर, राजस्व सेवकों से चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में उनकी मौलिक पद पर ज्येष्ठता के आधार पर तथा सीधी भर्ती तथा राजस्व सेवक से चयनित अभ्यर्थी के अंक समान होने की दशा में राजस्व सेवक को वरीयता प्रदान करते हुए ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।	विशेष अवसर से है) उत्तीर्ण की गई हो। एक ही परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के बीच ज्येष्ठता का निर्णय, परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार (मूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण, अनुपूरक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में अनुपूरक परीक्षा में सम्बन्धित विषय में प्राप्त अंकों को सम्मिलित करते हुए) पर किया जायेगा। दो या दो से अधिक सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के बराबर होने की दशा में अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता प्रशिक्षण हेतु चयन प्रक्रिया की प्रवीणता सूची के आधार पर, राजस्व सेवकों से चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में उनकी मौलिक पद पर ज्येष्ठता के आधार पर तथा सीधी भर्ती तथा राजस्व सेवक से चयनित अभ्यर्थी के अंक समान होने की दशा में राजस्व सेवक को वरीयता प्रदान करते हुए ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।
(6) सेवा में मौलिक रिक्तियों पर नियुक्तियां उसी क्रम में की जायेंगी, जिस क्रम में अभ्यर्थियों के नाम ***मण्डलायुक्त की*** सूची में हों। ***आयुक्त जिलों की रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के नामों की सूची कलेक्टर को राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने के निर्देश के साथ प्रेषित करेगा, सूची में संबंधित***	सेवा में मौलिक रिक्तियों पर नियुक्तियां उसी क्रम में की जायेंगी, जिस क्रम में अभ्यर्थियों के नाम **नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार की गयी सूची में हों।** कलेक्टर सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को अविलम्ब नियमानुसार नियुक्ति आदेश जारी करेंगे और संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस

अभ्यर्थी द्वारा नियम 30 में उल्लिखित जिलों में से जिस जिले में पुलिस प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना है उसका भी उल्लेख किया जायेगा। कलेक्टर *प्राप्त* सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को अविलम्ब नियमानुसार नियुक्ति आदेश जारी करेंगे और संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से समन्वय स्थापित करते हुए नियम 30 के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को निर्देशित करते हुए कार्यमुक्त करेंगे।	अधीक्षक से समन्वय स्थापित करते हुए नियम 30 के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को निर्देशित करते हुए कार्यमुक्त करेंगे।
आयुक्त, नियुक्ति हेतु किसी कलेक्टर को प्रेषित किये जाने वाले सूची में, उन अभ्यर्थियों के नाम विवेकानुसार शामिल कर सकेगा जिनके द्वारा सम्बन्धित जिले का नाम अपने आवेदन पत्र में प्राथमिकता के जिले के रूप में किया गया है :	**कलेक्टर द्वारा अभ्यर्थी के प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त तैनाती सुनिश्चित की जायेगी अभ्यर्थी द्वारा तैनाती के स्थल पर कार्य भार ग्रहण न करने की स्थिति में नियुक्ति पत्र निर्गत करने की तिथि से तीन माह पश्चात नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी।**
परन्तु यह कि *आयुक्त* सूची में से निम्नलिखित अभ्यर्थियों के नाम हटा सकता है:—	परन्तु यह कि **कलेक्टर** सूची में से निम्नलिखित अभ्यर्थियों के नाम हटा सकता है:—
(क) जो अभ्यर्थी, जो स्थायी रूप से नियुक्त हो चुके हों; और	(क) जो अभ्यर्थी, जो स्थायी रूप से नियुक्त हो चुके हों ; और
(ख) जो अन्य अभ्यर्थी, जो आयुक्त की राय में ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के रूप में नियुक्त किये जाने के	(ख) जो अन्य अभ्यर्थी, जो कलेक्टर की राय में ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त न समझे गये हों।

लिये उपयुक्त न समझे गये हों। सूची में से अपना नाम हटाये जाने के विरूद्ध अभ्यर्थी को राजस्व परिषद के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा ;

टिप्पणी— यदि किसी रिक्त स्थान पर नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव पर कोई अभ्यर्थी सेवा में आने से इंकार करे, तो उसकी ज्येष्ठता समाप्त मानी जायेगी।

प्रशिक्षण

30. प्रत्येक अभ्यर्थी को नियुक्त किये जाने पर ***आयुक्त*** द्वारा परिवीक्षा अवधि के प्रथम वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य के नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार एवं देहरादून जिलों के मैदानी थानों में तीन माह की अवधि के लिए तैनात किया जायेगा। इस तैनाती के दौरान राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के पद की प्रास्थिति नियमित पुलिस उप निरीक्षक की होगी तथा इस दौरान संबंधित थाने का भारसाधक अधिकारी राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) को पुलिस कार्यों के व्यावहारिक ज्ञान की गहन जानकारी उपलब्ध करायेगा और कम से कम दो गैर जमानती अपराधों की पूर्ण विवेचना राजस्व उप निरीक्षक(पटवारी) से कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण के अन्त में जिले का पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षण सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर लिये जाने का प्रमाण—पत्र राजस्व उप निरीक्षक से संबंधित प्रत्येक अभ्यर्थी को नियुक्त किये जाने पर **कलेक्टर** द्वारा परिवीक्षा अवधि के प्रथम वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य के नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार एवं देहरादून जिलों के मैदानी थानों में तीन माह की अवधि के लिए तैनात किया जायेगा। इस तैनाती के दौरान राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के पद की प्रास्थिति नियमित पुलिस उप निरीक्षक की होगी तथा इस दौरान संबंधित थाने का भारसाधक अधिकारी राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) को पुलिस कार्यों के व्यावहारिक ज्ञान की गहन जानकारी उपलब्ध करायेगा और कम से कम दो गैर जमानती अपराधों की पूर्ण विवेचना राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) से कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण के अन्त में जिले का पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षण सन्तोषजनक

	जिले के जिलाधिकारी को निर्धारित प्ररूप में उपलब्ध करायेगा।	रूप से पूर्ण कर लिये जाने का प्रमाण–पत्र राजस्व उप निरीक्षक जिलाधिकारी को निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करायेगा।
ज्येष्ठता	33. सेवा में ज्येष्ठता का अवधारण मौलिक रिक्ति में नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम 29 के उपनियम (6) के अधीन ***आयुक्त*** द्वारा जारी निर्देश की दिनांक को मौलिक नियुक्ति का दिनांक मानते हुए उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के आधार पर किया जायेगाः	सेवा में ज्येष्ठता का अवधारण मौलिक रिक्ति में नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम 29 के उपनियम (6) के अधीन **कलेक्टर** द्वारा जारी निर्देश की दिनांक को मौलिक नियुक्ति का दिनांक मानते हुए उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के आधार पर किया जायेगाः
	परन्तु यह कि यदि एक ही स्रोत से चयनित दो या अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति सम्बन्धी ***आयुक्त*** के निर्देश एक ही दिनांक के हों, तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता नियम 29 के उपनियम (4) के अनुसार तैयार की गयी प्रवीणता सूची के आधार पर निर्धारित होगी।	परन्तु यह कि यदि एक ही स्रोत से चयनित दो या अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति सम्बन्धी **नियुक्ति प्राधिकारी** के निर्देश एक ही दिनांक के हों, तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता नियम 29 के उपनियम (4) के अनुसार तैयार की गयी प्रवीणता सूची के आधार पर निर्धारित होगी।
	टिप्पणी– सभी स्थायी राजस्व उप निरीक्षकों (पटवारी) की एक पद–क्रम सूची (Gradation List) ***मण्डल*** में रखी जायेगी। सूची ज्येष्ठता के क्रम में तैयार की जायेगी।	**टिप्पणी**– सभी स्थायी राजस्व उप निरीक्षकों (पटवारी) की एक पद–क्रम सूची (Gradation List) **जनपद** में रखी जायेगी। सूची ज्येष्ठता के क्रम में तैयार की जायेगी।

स्थानान्तरण	36 (1) *आयुक्त, राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) का एक जिले में निरन्तर सात वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर स्वमति से, अन्यथा की स्थिति में कलेक्टर की संस्तुति से मण्डल के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण कर सकेंगे। नियमावली प्रख्यापित होने की तिथि अथवा इसके बाद नियुक्त राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) को मण्डल के अन्तर्गत कम से कम तीन जिलों (जहां राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है) में सात–सात वर्ष की सेवा करना अनिवार्य होगा। मण्डल के जिलों में* कलेक्टर, स्वमति से, जिले के भीतर एक तहसील/परगना से दूसरी तहसील/परगना और असिस्टैन्ट कलेक्टर तहसील/परगने के भीतर एक राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र से दूसरे राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र में स्थानान्तरण कर सकता है।	कलेक्टर, स्वमति से, जिले के भीतर एक तहसील/परगना से दूसरी तहसील/परगना और असिस्टैन्ट कलेक्टर तहसील/परगने के भीतर एक राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र से दूसरे राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र में स्थानान्तरण कर सकता है।
	(3) यदि कोई भूखण्ड, अभिलेख क्रियाओं या बन्दोबस्त क्रियाओं के अधीन हो तो सहायक कलेक्टर, कलेक्टर *या आयुक्त* राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) का स्थानान्तरण, यथास्थिति, अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी के परामर्श के बिना नहीं करेंगे :	यदि कोई भूखण्ड, अभिलेख क्रियाओं या बन्दोबस्त क्रियाओं के अधीन हो तो सहायक कलेक्टर **अथवा** कलेक्टर राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) का स्थानान्तरण, यथास्थिति, अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी के परामर्श के बिना नहीं करेंगे :

परन्तु यह कि राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) एक राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र में निरन्तर तीन वर्ष से अधिक व परगना/तहसील में निरन्तर पांच वर्ष से अधिक अवधि तक तैनात नहीं रह सकेगा।

आज्ञा से,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव

संख्या–1379 / XVIII(1)/2015 एवं तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
3. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेन्शन एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर गजट की 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून को इण्टरनेट पर प्रसारण हेतु।
12. गार्ड फाइल।

(जे0पी0 जोशी)
अपर सचिव

श्री निदे. अनुभाग
ह0 8/11/15

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–1
संख्या– 1580/XVIII(1)/2015-03(3)/2014 T.C-1
देहरादूनः दिनांकः 09 नवम्बर, 2015

अधिसूचना

राज्यपाल 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) सेवा नियमावली, 2013 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–12 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) सेवा नियमावली, 2013 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 12 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

		स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
शारीरिक दक्षता	12.	पुरूष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 10 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 05 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा।	पुरूष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 09 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 4.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा।

आज्ञा से,

डी0एस0 गर्ब्याल
सचिव

patwari niyamawali 04.09.2015

संख्या– 1580/XVIII(1)/2015 एवं तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेन्शन एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर गजट की 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इण्टरनेट के माध्यम से प्रसार हेतु।
12. विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

(जे0पी0 जोशी)
अपर सचिव।

5115(1)/रा०प०/दि०-22-12-2015

श्री विश०, अनु० अधि०
एक प्रति रक्षक पत्रावली
मे चस्पा करें
22/12/15

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–1
संख्या–1753/XVIII(1)/2015-03(3)/2014 T.C-1
देहरादूनः दिनांकः 19 दिसम्बर, 2015

अधिसूचना

राज्यपाल 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) सेवा नियमावली, 2013 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–12 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) सेवा नियमावली, 2013 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 12 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

		स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
शारीरिक दक्षता	12.	पुरूष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 09 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 4.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा।	पुरूष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 07 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा।

आज्ञा से,

(डी०एस० गर्ब्याल)
सचिव

संख्या– 1753/XVIII(1)/2015 एवं तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, ओबराय भवन, पटेलनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेन्शन एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर गजट की 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इण्टरनेट के माध्यम से प्रसार हेतु।
12. विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव